न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 03/2020
तारीख निर्णय– 23/02/2020

प्रार्थी :–

1. मदनदास पुत्र भूरदासजी आयु–56 वर्ष
2. विष्णुदास पुत्र भूरदासजी आयु–42 वर्ष
3. वाली बाई पत्नी भूरदाजी आयु–80 वर्ष
4. गुणिता पुत्री भूरदासजी आयु–35 वर्ष
5. ललिता पुत्री भूरदासजी आयु–45 वर्ष

जातिगण–साद निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी
2. पन्नालाल पुत्र कपूरदासजी आयु–वयस्क
3. तुलसीदास पुत्र कपूरदासजी आयु–वयस्क

जातिगण–साद, निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से– वकील श्री मनोहरदास वैष्णव।
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी की ओर से–सरकारी पैराकार तहसीलदार देसूरी।

निर्णय **दिनांक :– 23.02.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसूरी, पटवार हल्का–दे[illegible]ला–पाली में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 0.[illegible] हैक्टर [illegible], खसरा नम्बर 335 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म गै. मु. [illegible] खसरा नम्बर 336 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म–चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 336/[illegible]84 रकबा 0.4600 हैक्टर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

चाही दोयम, जाव दोयम कुल खसरा नम्बर–4 कुल रकबा 3.1900 हैक्टर लगान रूपये 67.9000 में प्रार्थीगण के पिता/पति स्व भूरदास पुत्र कपूरदासजी की खातेदारी का कब्जा व काश्त शुदा 1/2 हिस्सा आता था। जिस उक्त खसरा नम्बरान के पुराने खसरा नम्बरान 93, 94/1, 80 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा थे।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजियात प्रार्थीगण के पिता/पति भूरदास पुत्र कपूरदास तथा इनके दादा/ससूर कपूरदास पुत्र लच्छीराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख खरीद शुदा है जो भूमि खरीदने के बाद इनके नाम से राजस्व रिकोर्ड मे **"कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम जी"** के नाम से नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 27.08.1967 को स्वीकृत होकर भरा गया। नामान्तरकरण भरने के बाद जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 तैयार की गई उसमें इन्द्राज **"कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लछीराम** दर्ज किया गया जो सही इन्द्राज किया गया।

उसके बाद नया सेटलमेन्ट होने पर वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 बनाई गई उसमें वादग्रस्त आराजी की खातेदारी **"कपूरदास, भूरदास पि0 लछीराम** दर्ज की गई, जिससे पुरानी खातेदारी रिकोर्ड से नया रिकोर्ड मिसल बन्दोवस्त बनाते समय सेटलमेनट कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटी एवम् गलती व भूल से **"कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम"** के बजाय **"कपूरदास, भूरदास पिता लच्छीराम** गलत दर्ज किया है जबकि कपूरदास के पिता का नाम लच्छीराम व भूरदास के पिता का नाम कपूरदास था।

यह है कि कपूरदास पुत्र लच्छीरामज का देहान्त हो चुका है उनके स्थान पर वादग्रस्त आराजी में उनके विधिक वारिसानों के नाम से नामान्तरकरण हो चुका है एवम् भूरदासजी का भी देहान्त दिनांक 01.05.2008 हो गया है। स्व भूरदासजी के देहान्त होने के बाद उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में भूरदास पुत्र लच्छीराम दर्ज है, भूरदास के पिताजी कपूरदासजी के स्थान पर लच्छीराम जी का नाम आ गया है जो गलती से सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा मिसल बन्दोवस्त तैयार करते वक्त हुई है जिसको सुधारा जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है।

यह है वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता/पति का नाम **" भूरदास पुत्र लच्छीराम"** के बजाय **" भूरदास पुत्र कपूरदास"** दर्ज कर नाम बाबत दुरूस्ती करावे। प्रार्थीगण के पिता/पति भूरदासजी के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज होने से उनके नाम के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने मे काफी समस्या आ रही है। जिससे उक्त गलती को हस्ब धारा–136 राजस्व अधिनियम के तहत सुधारा जाना नितान्त आवश्यक एवम् न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दिगर प्रार्थीगण की अनुमति एवम् सहमति से पेश किया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 सहखातेदार होने से उनको इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात के वर्तमान राजस्व अभिलेख में जमाबन्दी मे पुराने इन्द्राज के मुताबिक प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम भूरदास पुत्र लच्छीराम के बजाय भूरदास पुत्र कपूरदास दर्ज कर रिकोर्ड दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित होने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर334, 335, 336/3384 कुल रकबा 3.19 हैक्टर खाता संख्या 742 के अनुसार गुणीता व अन्य की खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री दस्तावेज प्रार्थीया के पिता द्वारा खरीदा जाना स्वीकार है। उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री दस्तावेज से खरीदी गई जिसमें खरीदार का नाम **''कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम''** दर्ज है। जो रिकोर्ड अनुसार नामान्तरकरण संख्या 538 व खतौनी 2026 से 2029 से स्पष्ट है। खतौनी में **''कपूरदास, भुरदास पुत्र लच्छीराम''** दर्ज किया हुआ है। यह लिपिकीय त्रुटी है।

बहस वकील प्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या–538 दिनांक 27.08.1967 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण पंजिका में **''कपुरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम''** के नाम दर्ज हुआ। जिसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 में इन्द्राज **'' कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम''** दर्ज किया जो नामान्तरकरण के अनुसार ही किया गया जो सही इन्द्राज किया है। उसके बाद सेटलमेन्ट होने पर वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख मिसल जमाबन्दी सवत् में 2041 से 2060 में **''कपूरदास, भूरदास पि0 लच्छीराम''** हुआ जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने रिकोर्ड के अनुसार ''कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम'' दर्ज करना था। सिर्फ सेटलमेंट की भूल व गलति से नाम पुराने रिकार्ड से नया रिकार्ड तैयार करते समय इन्द्राजात संबंधित लिपिकीय भूल/गलति से **''कपूरदास, भूरदास बेटा पोता लच्छीराम''** के स्थान पर **''कपूरदास, भूरदास पि0 लच्छीराम''** दर्ज हुआ है। एवं अप्रार्थी संख्या–1 भूमिधारी, तहसीलदार, देसूरी द्वारा जवाब में भी उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय की राय में उपरोक्त रूपेण सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियो/ अधिकारियों की नया रिकार्ड तैयार करते समय हुई लिपिकीय त्रुटी को सुधारा जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी का यह मामला अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के आता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतू आदेश दिया जाता है कि–मौजा ग्राम देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी जिला–पाली में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 0.0200 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.0800 हैक्टर किस्म गै. मु. सडा, खसरा नम्बर 336 रकबा 2.6300 हैक्टर किस्म–चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 336/3384 रकबा 0.4600 हैक्टर, किस्म चाही दोयम, जाव दोयम कुल खसरा नम्बर–4 कुल रकबा 3.1900 हैक्टर लगान रूपये 67.9000 की जमाबन्दी में अप्रार्थीगण पिता/पति का नाम **''भूरदास पत्रु लच्छीराम''** के स्थान पर **''भूरदास पुत्र कपूरदास''** दर्ज किया जावे। अर्थात उक्त 1/2 हिस्सा **''भूरदास पुत्र कपूरदास''** के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार, देसूरी को राजस्व अभिलेख मे माफिक आदेश इन्द्राज दुरूस्ती कर अमलदरामद कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतू तहरीर जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक – 23.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested